

31/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकील डाब्वी अनुपरिव्यत है। न्यायालय 7 5 पार पार

वाकत एक अवसर उदान किया जाता है। पत्रावली दिनांक 31/1/2025

डा. पेशे पत्र

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

31/1/2025

वकीलो द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है।
पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु
आईदा दिनांक 11/2/2025 को पेश हो।



11/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील डाब्वी उपरिव्यत है। पत्रावली वास्ते
आदेश डाब्वीन पत्रावली 128 LRA वाकत निपम है। पत्रावली
तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन तथा वहस प्रवृत्ति पर
पर मनन किया गया। पत्रावली में वकील डाब्वी को बार-बार
डाब्वी के मन्दिर के पुझारी होने के दस्तावेज पेश करने
वाकत समय दिए जाने। उषति अवसर उदान किए जाने
के उपरान्त भी वकील डाब्वी/ डाब्वी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज

लगाता है



अन्तर्गत धारा:-.....

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

संलग्न पतावली नहीं कराया गया। जिससे न्यायालय को यह समाधान हो सके की उषी मन्दिर श्री बलदास जी महाराज का पुजारी है। मुनी उषी उन्नत आराजी की पत्परगठी बाबत स्वयं की मन्दिर मूर्ति का पुजारी आवित कर पत्र पत्र में असमर्थ रहे। अतः पतावली के अवलोकन तथा बधस पतावली के मनब पश्चात् वकील उषी/ उषी द्वारा प्रस्तुत उषीना पत्र धारा 128 LRA अनुतोष योग्य नहीं होने तथा उषी/ उषी वकील के उकरण अनुतोष योग्य होना आवित कर पत्र में असमर्थ होने से वकील उषी/ उषी द्वारा प्रस्तुत उषीना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पतावली कैसल शुपर है। नम्बर से कम होकर दाखिल सत है।

निर्णय आज दिनांक 11/2/25 को सरेश्वरतारन सुनाया गया।

SDO, BHINSAI